न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 102/2023

उनवान

1. अमरचन्द पुत्र नोपाराम, जाति बलाई, निवासी घासीपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र प्रभात, जाति बलाई, निवासी उदावाला, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 15/3/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 287 के आराजी खसरा नंबर 772/2 रकबा 0.1550 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार है। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर आपस की सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा आराजी मुतनाजा के पश्चिमी भाग पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वी भाग पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते वादीगण के काबिज काश्त में मजाहमत पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। दिनांक 17.10.2022 को वादीगण प्रतिवादीगण के पास गये तथा सहमति से बंटवारा करवाकर नंबर अलग अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गया तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने काफी समझाईश की लेकिन कानूनी बंटवारा हेतु साफ तोर पर इंकार हो गया तथा एलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजी का किसी भी कीमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में भी मजाहमत पैदा करेंगे इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबों में किसी कदर कामयाब हो गया तथा वादीगण को काश्त व उपयोग उपभोग नहीं करने दिया या माजहमद पैदा कर दिया या

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों में परस्पर मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 287 के आराजी खसरा नंबर 772/2 रकबा 0.1550 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारा के अनुसार आराजी मुतनाजा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुए मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट स्थानापन्न अथवा उत्तराधिकारियों से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर आता है कि प्रतिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नहीं आये है। अतः प्रकरण में दिनांक 07.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/591 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के आदिनांक तक उपस्थित नहीं आये है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावे एवं बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम घासीपुरा पटवार हल्का घासीपुरा तहसील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

शाहपुरा के हाल खाता संख्या 287 के आराजी खसरा नंबर 772/2 रकबा 0.1550 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :—

1. **अमरचन्द पुत्र नोपाराम जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 772/2/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि रहेगी।**
2. **कल्याण सहाय पुत्र प्रभात जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 772/2/2 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0850 है0 भूमि रहेगी।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक—दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/3/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

ाय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

ीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

संख्या :– 102/2023

उनवान

न्द पुत्र नोपाराम, जाति बलाई, निवासी घासीपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर,राज0।
– वादीगण

बनाम

ण सहाय पुत्र प्रभात, जाति बलाई, निवासी उदावाला, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, ।

थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर, (राज0)।
– प्रतिवादीगण

पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :–

ुक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम घासीपुरा पटवार हल्का घासीपुरा तहसील हाल खाता संख्या 287 के आराजी खसरा नंबर 772/2 रकबा 0.1550 है0 भूमि न् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

अमरचन्द पुत्र नोपाराम जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 772/2/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.07 है0 भूमि रहेगी।
कल्याण सहाय पुत्र प्रभात जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 772/2/2 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0850 है0 भूमि रहेगी।

रण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय हेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये ाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार ार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 15/3/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय ा से जारी की गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. — सत्यमेव जयते)

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर, ग्रामीण

र्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
के लिए स्टाम्प त्र के लिए स्टाम्प लिए स्टाम्प पये पर प्लीडर की फीस के लिए निर्वाह – व्यय की फीस ा की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
		जोड़	